संख्या- /2026/ /001-26-15-1-2026

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक,
एन०सी०सी० निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2026

विषय:- जनपद-गोरखपुर में एन०सी०सी० प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2025-26) ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक एन०सी०सी० निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ का पत्र संख्या-8000/9/ एकेडमी 517/ क्यू, दिनांक 08 अगस्त, 2025 एवं उसके साथ संलग्न परियोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक - 612 /कार्य-13/24 दिनांक - 16/07/2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से योजना के अवशेष धनराशि रू0 2138.31 लाख को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि जनपद गोरखपुर में एन.सी.सी. प्रशिक्षण एकेडमी के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 14.03.2024 द्वारा रू0 4788.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1100.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ मात्र) तथा शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2025 द्वारा रू0 1550.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ पचास लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 2650.00 लाख निर्गत की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-72 के लेखाशीर्ष-4202-01-202-07-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में अवशेष धनराशि रू0 1662.42 लाख में से जनपद-गोरखपुर में एन०सी०सी० प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1662.42 (रूपये सोलह करोड़ बासठ लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य अनुमोदित मितव्ययी आगणन पर नामित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम) द्वारा किया जायेगा तथा सक्षम स्तर से लिखित आदेशों के बिना अनुमोदित स्पेसिफिकेशन्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(3) प्रश्नगत परियोजना के गुणवत्ता की जांच जनपदीय टास्क फोर्स से अवश्य करा लिया जाय। कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी अपर महानिदेशक, एन०सी०सी० निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369-एच सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्तगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय।

(13) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,62,42,000 (रुपये सोलह करोड़ बासठ लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 072 **लेखा शीर्षक** 4202012020700 एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकादमी, गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by KRISHNA KUMAR GUPTA
Date: 27-01-2026 18:11:09

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

संख्या- /2026/ /001-26-15-1-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर, उ०प्र०।
4- शिक्षा निदेशक (मा०) शिविर कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा विभाग/एन०सी०सी० निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
7- संयुक्त मण्डलीय शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, उ०प्र०।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, उ०प्र० ।
10- जिला विद्यालय निरीक्षक/वित्त एवं लेखाधिकारी, गोरखपुर को सम्बन्धितों से समन्वय करते हुये प्रश्नगत भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु।
11- एन०सी०सी० ग्रुप मुख्यालय, गोरखपुर।
12- प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम), लखनऊ/गोरखपुर।
13- वित्त (ई-11) अनुभाग ।
14- बजट समन्वय अनुभाग-1
15- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Digitally signed by SANDEEP PARMAR
Date: 28-01-2026 12:22:19

(संदीप परमार)
संयुक्त सचिव।